—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 26/2020

उनवान

रामदेव पुत्र चौथू जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. परमेश्वर
2. भागचन्द
3. रामधन
4. सांवरा पि. उगमा
5. रामकरण पुत्र गोपी समसत जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
6. मैनजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा रामसर, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 6 अनुपस्थित
7 जरियें राज. पैरोकार,

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 व भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :—26.12.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर में स्थित आराजी मुतनाजा वादी की खातेदारी/काश्तकारी की हे जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खतौनी जमाबंदी सनफसली ख0न0	रकबा	चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
3792	1—3—0	4103	1—3—0	4309	1—3—0	5415	0.18
3793	0—2—10	4104	0—2—10	4310	0—2—10	5416	0.02
3794	0—4—10	4105	0—4—10	4311	0—4—10	5417	0.04
						5418	0.03

सन फसली के पुराने खसरा नम्बर 3792 के चौसाला खसरा नम्बर 4103 के वंर्किग खसरा नम्बर 4309 के हाल खसरा नम्बर 5415 हाल [illegible] अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है। पुराने खसरा नम्बर 3793 के हाल [illegible] नम्बर 5416 सिवायचक है। तथा पुराने खसरा नम्बर 3794 के हाल खसरा नम्बर [illegible] 5418 वादी व प्रतिवादी संख्या 5 की संयुक्त खातेदारी में है। [illegible]10 के हाल खसरा [illegible] 5416 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। हाल [illegible]जस्व मानचित्र में खसरा [illegible]बर 5416

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सरकारी भूमि को त्रिभुज के रूप में दक्षिण दिशा में गलत अंकित करते हुये वादी के खेतों का रकबा कम करते हुये वर्ममान राजस्व मानचित्र की स्थिति को परिवर्तित कर दिया है। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हसतांतरण करने पर आमादा है। अतः हाल खसरा नम्बर 5416 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया हे जिससे सिद्व होता हो कि प्रतिवादी संख्या 7 ने गलत इन्द्राज नक्शा में कर दिया हैं। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादी को बेदखल करने का प्रयास नही किया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बावजुद तामीली अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निमन तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी वागग्रस्त आराजियात के त्रुटिपूर्ण नक्शा ट्रेस दुरूस्ती का अधिकारी है ?
   –– वादी
2. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
   आराजी मुतनाजा पर वादीगण खातेदारी प्रापित के अधिकारी है ?
   –– वादी
3. आया वादग्रस्त आराजी का हाल नक्शा त्रुटिपूर्ण नही होने से वद खारिज योग्य है ?
   –– प्रतिवादीगण
4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी रामदेव व गवाह गोपाल पुत्र छोगा व गोपाल पुत्र चान्द का शपथ पत्र पेश किया।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 से 3 :–

उक्त तनकियात एक दूसरे की पूरक होने के कारण सभी तनकियात का निर्णय साथ में किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 5415 प्रतिवादी संख्या 1 से 4, खसरा नमबर 5416 सिवायचक व खसरा नम्बर 5417 व 5418 वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के पिता की खातेदारी में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 5416 के वंर्किंग खसरा नम्बर 4310, चौसाला खसरा नम्बर 4104 व सन फसली खसरा नम्बर 3793 राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी कभी भी वादी अथवा उसके पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज नही है। उक्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार सिवायचक होने के कारण खसरा नम्बर 5416 का राजस्व अभिलेख त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। हाल खसरा नम्बर 1516 से 1518 का राजस्व मानचित्र सन् फसली खसरा नम्बर 3792 से 3794 की तुलना में त्रुटिपूर्ण है। पूर्व में पुराने खसरा नम्बर 3794 की भुजा पुराने खसरा नम्बर 3792 तक अंकित थी हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 5417 [illegible] नम्बर 5415 तक अंकित नही है। साथ ही सिवायचक खसरा नम्बर 5416 की [illegible] भी पुराने खसरा नबर की तुलना में परिवर्तित कर दी है। वादी [illegible] से वाद के कथनों की ताईद होती है। प्रतिवादी संख्या 5 प्रकरण में [illegible] है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:50 IST
Reason: SelfAttested

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अपने जवाब में वाद का ठोस खण्डन नही किया है। प्रतिवादी 1 से 4 ने अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। तनकी बहक वादी विरू, प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 5415, 5416, 5417 व 5418 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा के सन् फसली व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामदेव बनाम परमेश्वर

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 26/2020
पेश करने की दिनांक — 04.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 5415, 5416, 5417 व 5418 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा के सन् फसली व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 12 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:50 IST
Reason: SelfAttested